


18/8
25

पत्रावली पेश। प्रार्थी व वकील प्रार्थी को
बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार
आवाज लगाने के पश्चात भी प्रार्थी
व वकील प्रार्थी न्यायालय में हाजिर
नहीं आये। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 212 RTA अधिनियम हाजिर

अबम पंरवी में खारिज किया जाता है
पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से
कम होकर दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
दंतारामगढ़